

रजिरट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-

न्यूज पेंपर/91/05-06

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कम्सेशनल रेत

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, १९ दिसम्बर, 2005 अग्रहायण 28, 1927 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग—1

संख्या 1406/सात-वि-1—1(क) 29-2005 लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2005

> अधिसूचना ------विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—(1) यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश संक्षिप नाम और अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे। परिभाषाएं

2-र्जंय तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

- (एक) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित संस्थान की विद्या परिषद से हैं।
- (दों) ''निदेशक'' का तात्पर्य धारा 27 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है:
- (तीन) ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित संस्थान की कार्य परिषद से है:
- (चार) ''महा-परिषद'' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित संस्थान की महा-परिषद से है:
 - (पांव) ''विहित'' का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित से है;
- (छः) ''कुल-सचिव'' का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त संस्थान के कुल-सचिव से है;
- (सात) ''विनियमावली'' का तात्पर्य धारा 32 के अधीन बनायी गयी संरथान की विनियमावली से है;
- (आत) ''संस्थान'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय दिधि संस्थान उत्तर प्रदेश से है;
- (नौ) 'प्रमारी स्टिक्क का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सिक्क वर्ष भावित से हैं;
- (दस) ''राज्य के वारिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संस्थान में तैनात किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से हैं:

(ग्यारह) ''अध्यापक'' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो संस्थान द्वास संस्थान में शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिए नियोजित हो;

(बारह) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य धारा ७ में निर्दिष्ट संस्थान के कुलाध्यक्ष से है;

गोरशान की स्थापना और नियमन 3—(1) ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में एक संस्थान की स्थापना की जायेगी:

- (2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा।
- (3) संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में होगा।
- (4) इस धारा के अधीन स्थापित किये जाने वाले संस्थान के सम्बन्ध में,-
- (क) राज्य सरकार संस्थान के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और संस्थान के अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, गठन करेगी!
- (ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकरणों का गठन होने तक या ऐसे अन्य पूर्वतर दिनांक तक जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, पद धारण करेंगे;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष से अनिधिक अविधिनके लिए बढ़ा सकती है। (ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्थान के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकरणों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदाविध की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

4-संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :--

संस्थान के उद्देश्य

- (एक) विधि और विधिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और ज्ञान और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का प्रसार करना और अग्रसर करना;
- (दो) छात्र और अनुसंधानविद् में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विधान, विद्यमान विधियों में विधि सुधार और तत्समान के सम्बन्ध में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।
- (तीन) विधिक ज्ञान का संवर्धन करने और विधि एवं विधिक प्रक्रिया का सामाजिक विकास का दक्ष माध्यम बनाने के लिए व्याख्यानों, सेमिनारों, परिसंवादों और सम्मेलनों का आयोजन करना:
- (चार) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और:
- (पांच) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो संस्था के सभी या किन्हीं उददेश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक आवश्यक या साधक हों। 5—संस्थान की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :--

संस्थान की शक्तियां और कृत्य

- (एक) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए संस्थान और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रवन्ध करना जो संस्थान के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो।
- (दो) विधि सं सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिनमें संस्थान ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंघान के लिए तथा विधिक ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिए उपवन्ध करना;
- (तीन) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना:
- (चार) किसी उपाधि या उपाधि पत्र (डिप्लोमा) हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए संस्थान में छात्रों के प्रवेश के लिए अईताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना:
- (पांच) निवेश-वाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व लेना;
- (छ:) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी संस्थान अवधारित करें, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधियाँ एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;
- (सात) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को निर्धारित रीति से प्रदान करना;

- (आठ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना:
- (नौ) हालों और छात्रावासां को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और संस्थान के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (दस) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और संस्थान के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (ग्यारह) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना।
- (बारह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासितक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना।
- (तेरह) संस्थान के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायं;
- (वीदह) आधार्य पदों, उपादार्य पदों, प्राध्यापक पदों और संस्थान द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षिक या अनुसंधान पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना:
- (पन्द्रह) आचार्यों, उपासार्यों, प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा संस्थान के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (सोलह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (संब्रह) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपि और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;
- (अठ्ठारह) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके सम्बन्ध में तय किया गया हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें संस्थान समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;
- (उन्नीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हो, विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः संस्थान के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;
 - (बीस) संस्थान के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबंध करना;
- (इक्कीस) संस्थान के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना जिन्हें संस्थान आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना जो संस्थान के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;
- (बाइस) संस्थान के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों के सुसंगत जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना?

(तेईस) किसी ऐसे भूमि, भवन या संकर्म को, जो संस्थान के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मित का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना :

(चौबीस) संस्थान के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर जैसी संस्थान ठीक और उचित समझे, संस्थान की समस्त सम्पतियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान—प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

परन्तु जहां सम्पत्तियों का भृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(पच्चीस) भारत सरकार सम्बन्धी और अन्य बचत-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना मितिकाट पर भूगतान करना और परक्रामण करना;

(छब्बीस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अन्तर्गत संस्थान की या संस्थान के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(सत्ताइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या संस्थान के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठींक समझे, नियुक्त करना;

(अठ्ठाइस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(उन्तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो संस्थान की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और संस्थान की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(तीस) संस्थान की निधियों या संस्थान को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(इक्तीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनियमावली द्वारा विहित की जायं, ं में पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपदान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह संस्थान के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो संस्थान के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;

(बत्तीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें संस्थान अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्सार के लिए आवश्यक सहायक या आनुषंगिक समझे; संस्थान में अध्यापन

- 6—(1) संस्थान की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्थान के अध्यापकों द्वारा, महापरिषद के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे;
- (2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किए जायें।

संस्थान के कुलाध्यक्ष 7-(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे;

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अपनी सहमति नहीं देते हैं तो राज्य सरकार भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को संस्थान के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा विहित किया जाये, नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

- (2) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, संस्थान, उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं संस्थान द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धत किसी विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा;
- (3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराये जाने के अपने आशय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और संस्थान एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और उसे सुने जाने का अधिकार होगा;
- (4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सम्बन्ध में निदेशक को लिख सकेगा और निदेशक कुलाध्यक्ष के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदान की हो, महापरिषद को संसूचित करेगा;
- (5) महापरिषद ऐसे निरीक्षण या जांच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में निदेशक के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।

संस्थान के प्राधिकारी 8-संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :--

- (1) महापरिषद;
- (2) कार्य परिषद्;
- (3) विद्या परिषद्;
- (4) वित्त समिति; और
- (5) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें

महापरिषद

9-(1) संस्थान की एक महापरिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

एक - पदेन सदस्य

- (एक) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (दो) मुख्ये न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (तीन) मंत्री, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार।
- (चार) मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार।

(पाच) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

- (छः) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश।
- (सात) प्रमारी सचिव, न्याय विमाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- (आठ) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- (नौ) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

THE PERSON WESTINGS IN LINE OF

(दस) संस्थान का निदेशक।

दो - नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

- (एक) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा।
- (दो) उत्तर प्रदेश से लोक सभा के दो सदस्य, जिसमें से एक सत्ता पक्ष से और दूसरा विपक्ष से होगा, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (तीन) उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जिनमें से एक सत्ता पक्ष से और दूसरा विपक्ष से होगा, विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।
- (चार) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपित जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (पांच) बार कौंसिल आफ इंडिया के सदस्यों में से उसका एक नामनिर्देशिती।
- (छः) विधिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (2) उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महापरिषद का अध्यक्ष होगा और संस्था का निदेशक महापरिषद् का सचिव होगा।
- 10 (1) महापरिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए, तीन वर्ष होगी।

महापरिषद के सदस्यों की पदावधि

- (2) जब कोई व्यक्ति महापरिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर लिया जाय तो वह यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नामनिर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापिस ले लिया जाय, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।
- (3) महापरिषद् का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाय या यदि निदेशक से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना महापरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या संस्थान के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।
- (4) महापरिषद का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।
- (5) महापरिषद में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, कोई रिक्ति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायगी या नामनिर्देशन द्वारा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता:

महापरिषद की शक्तियाँ

11-महापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात:-

- (एक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति करना:
- (दो) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट संस्थान के कृत्यों और शक्तियों, ऐसी शक्तियों को छोड़ कर जहां वे संस्थान के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों, का प्रयोग करना
- (तीन) संस्थान की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और संस्थान के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;
- (चार) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें;
- (पांच) अपनी समस्त या किन्ही शक्तियों को निदेशक को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और
- (छः) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह संस्थान के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।
- 12—(1) महापरिषद वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जाएगी।
- (2) महापरिषद का अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (3) महापरिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जाएगी।
- (4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि महापरिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत देगा।
- (5) यदि महापरिषद द्वारा आत्ययिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि महापरिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमित न हो जाए। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जाएगा और कागज—पत्रों को महापरिषद की आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जाएगा।
- (6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संस्थान के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन—पत्र और वित्तीय प्राक्कलन निदेशक द्वारा महापरिषद के समक्ष उसकी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे। 13— (1) कार्य परिषद संस्थान की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।
- (2) संस्थान का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद् में निहित होगी जो संस्थान की सम्पतियों और निधियों पर नियन्त्रण और प्रशासन रखेगी।
- 14- (1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-- .

(एक) निदेशक,

(दो) महा—परिषद के तीन सदस्य, जो महा—परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

महापरिषद के अधिवेशन

कार्य परिषद

कार्य परिषद का गठन

- (तान) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल उत्तर प्रदेश;
- (चार) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;
- (पांच) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ;
- (छः) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;
- (सात) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षाविद:
- (आठ) सामाजिक ख्याति प्राप्त दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;
 - (नौ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से संस्थान के दो पूर्णकालिक आचार्यः,
- (2) निदेशक कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुल सचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।
- 15—(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
 - (2) कार्य परिषद का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग—पत्र दे दे या विकृत मिरतष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाय या निदेशक से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद् के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या संस्थान के हितों के प्रतिकृत कार्य करे।
 - (3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुस्तर कार्य परिषद की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के सदस्य स्वयं द्वारा कार्य परिषद् का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति, पुनःनामनिर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे।
 - (4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग—पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग—पत्र कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही प्रभावी हो जाएगा।
 - (5) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने का हकदार हो, द्वारा, यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नामनिर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।
- 16— धारा 11 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :—

कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

कार्य परिषद की पदावधि

- (एक) विद्या परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थान में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे सम्बन्धित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्त्तव्यों को अवधारित करना;
- (दो) समय—समय पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए विनियमावली द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;
- (तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारण करना;

(चार) संस्थान के वित्त, लेखाओं, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करनाः

(पांच) संस्थान के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय—समय पर ठीक समझे; या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रंय करने में विनिहित करना और समय—समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन करना;

(छः) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना :

परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जाएगी;

- (सात) संस्थान की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;
- (आठ) संस्थान के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (नौ) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश व्यथित अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;
- (दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) संस्थान के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अमिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) संस्थान के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे विनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरहं) अपनी किन्हीं शक्तियों को, विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थाई रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

प्रवेश और नियुक्तियाँ में आरक्षण

- 17—(1) कार्य परिषद विनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।
- (2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश संस्थान के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन यः गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद् के अधिवेशन 18—(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और ऐसे अधिवेशन के लिए पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटिस दी जाएगी।

- (2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थित में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।
- (3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।
- (4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।
- 19—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिये या संस्थान के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या संस्थान से सम्बन्धित किसी मामले में जांच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिये ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

- (2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिये ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है, और उन्हें कार्य परिषद के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।
- 20—(1) विद्या परिषद संस्थान की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और विद्या परिषद विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संस्थान में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण दिनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद की सलाह देने का अधिकार होगा।
 - 21-(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

विद्या परिषद का

- (एक) निदेशक, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो संस्थान की सेवा में न हों, महापरिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (तीन) उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;
 - (चार) उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का एक नाम निर्देशिती;
 - (पाँच) संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष;
 - (छः) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हों:
- (सात) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य संस्थान के उपाचार्यों और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।
- (3) जहां कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद का सदस्य हो, वहां उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।

- (4) विद्या परिषद का काइ सदस्य सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि निदेशक से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।
- (5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से, जिस पर वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, तीन वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे किन्तु, यथास्थिति, पुनः नाम-निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।
- (ह) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद् के सदस्य को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार करते ही त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।
- (7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथारिथति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

22—इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद को, उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :—

- (एक) महापरिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;
- (दो) संरथान में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना:
- (तीन) संकायों के संगठन के लिये योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरिक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना:
- (चार) संस्थान के अन्तर्गत अनुसंघान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंघान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
 - (पांच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
 - (छः) संस्थान में प्रवेश के लिये सन्नियम बनाना और समितियां नियुक्त करना;
- (सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और संस्थान की डिप्लोमा और उपाधि के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना:
- (आठ) महापरिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुये अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियाँ और अन्य पारितोषिकों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;
- (नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलक्षियाँ और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सिफारिश करना;
- (दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिये दिनांक नियत करना:
- (ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना:

विद्या परिषद की शक्तियाँ ओर कर्तव्य

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और प्रस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाउय पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना जो विनियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते हैं: और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों।

23-(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक विद्या परिषद वे हो, किन्तु अन्यून दो बार अधिवेशन करेगी।

अधिवेशन

- (2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपरिथति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।
- (3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से विद्या परिषद के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।
- (4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।
- 24-(1) संस्थान की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, वित्त समिति अर्थात :-

(एक) निदेशक:

- (दो) महापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;
- (तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;
- (चार) उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो:
- (पांच) उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;
- (छ:) उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो:

(सात) कुल सचिव;

- (आठ) वित्त अधिकारी-सदस्य सचिव।
- (2) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
- (3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात् :--
- (एक) संस्थान के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों की सिफारिशें करना।
- (दो) नये व्यथ के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिशें करना।
- (तीन) कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये सावधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर संस्थान के वित्त का पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद या निदेशक के निदेश पर संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद को अपना विचार देना और सिफारिश करना:

- (4) वित्त समिति छः माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ;
- (5) निदेशक वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

चयन समिति

- 25—(1) कार्य परिषद संस्थान में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये चयन समिति का गठन करेगी।
 - (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (एक) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
 - (दों) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिये चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;
 - (तीन) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिये नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;
 - (ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो वहां कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संस्थान प्रशासन के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।
- (3) जहाँ संस्थान द्वारा पद स्थापित किये जाने के लिये किसी दाता से विन्यास प्राप्त किया जाय वहां उस पद को भरे जाने के प्रयोजन से दाता को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

संस्थान के अधिकारी 26-संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात:-

- (एक) निदेशक
- (दो) विभागाध्यक्षगण
- (तीन) कुलसचिव
- (चार) वित्त अधिकारी
- (पांच) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विहित किये जाय।

निदेशक

27—(1) निदेशक संस्थान का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निदेशक की नियुक्ति महापरिषद द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा महापरिषद को भेंजे जायें:

परन्तु प्रथम निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :
 - (एक) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति:
 - (दो) महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;
 - (तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

- (3) उपधारा (4) के अधीन पदाविध समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण निदेशक के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छः माह पूर्व और जब कभी भी महापरिषद द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समिति महापरिषद को कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो निदेशक का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति महापरिषद को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।
- (4) निदेशक अपने पद ग्रहण के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता / लेती है, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा / करेगी :

परन्तु महापरिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा निदेशक अपना पद त्याग कर सकेगा और महापरिषद द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जाएगा।

- (5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निदेशक की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।
 - (6) निदेशक किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।
- (7) यदि निदेशक का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा महापरिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो महापरिषद का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को निदेशक के पद पर छः माह की अनधिक अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है।
- (8) यदि महापरिषद की राय में निदेशक जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि महापरिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि निदेशक का पद पर बने रहना संस्थान के लिये अहितकर है तो महापरिषद ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा निदेशक को हटा सकती है।
- (9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए महापरिषद यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक—
 - (क) ऐसा निदेशक, निदेशक के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलक्षियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।
 - (ख) निदेशक के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(10) निदेशक---

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों का समुचित पालन कर लिया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी।
- (ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन निदेशक संस्थान के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (ग) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हों:
- (घ) को संस्थान में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियाँ होंगी!

(11) यदि निदेशक की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसीं कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उबत के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति में मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

विभागाध्यक्षगण

- 28-(1) संस्थान में प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।
- (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

कुलसचिव

- 29—(1) कुलसचिव संस्थान का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाएगी।
- (2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जाएगा।
 - (3) कुलसचिव-
 - (एक) कार्य परिषद और निदेशक के निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;
 - (दो) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपुर्द करे;
 - (तीन) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकार्यों, पाठ्य समिति और संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;
 - (चार) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकार्यो और संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा:
 - (पांच) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा:
 - (छः) संस्थान के अधिवेशनों की कार्य सूची, जैसे ही वे जारी की जाती हैं, और प्राधिकरणों के अधिवेशनों के कार्यवृत्त की प्रतियां अधिवेशन के आयोजन के एक माह के भीतर कुलाध्यक्ष को मैजेगा;
 - (सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो निदेशक न सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और संस्थान का कार्य करने के लिये उसके निदेश लेगा;
 - (आठ) संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिये प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;
 - (नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये निदेशक के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;
 - (दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या निदेशक द्वारा इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाय।
- (4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में निदेशक संस्थान की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा निदेशक उचित समझे।

वित्त अधिकारी

- 30-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- (2) वित्त अधिकारी,--
- (क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और संस्थान की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।

- (ख) मतदान को छोड़कर, कार्यपरिषद के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा:
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय संस्थान द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;
- (घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करेगा जो इस अधिनियम या विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही.
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।
 - (छः) संस्थान की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा:
- (ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणों से या अधेक्षा किये जाने पर अपने परामर्श के आधार पर परामर्श देगा:
- (झ) संस्थान के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा:
- (ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजिया अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती है और यह कि उपरकर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जांच संस्थान में नियमित रूप से की जाती है;
- (ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;
- (ठ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् या निदेशक द्वारा समनुदेशित किये जायं।
- (3) किसी कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में निदेशक संस्थान की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों. कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि निदेशक उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;
- 31-(1) उक्त प्रयोजन के लिए बंनाये गये विनियमों के अध्यधीन संस्थान के प्रत्येक अन्य अन्य अधिकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, विनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जाएगी जो संस्थान को सौंपी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित या कर्मचारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- संस्थान और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न (2) हुए किसी विवाद को सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के प्रेरणा पर, विनियमों द्वारा यथा विहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 32-(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमावली बना सकती है:

विनियमावली कैसे बनायी जाये

परन्तु कार्य परिषद् संस्थान के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद् निम्नालेखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी, अर्थात :--

- (एक) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (दो) संस्थान संबंधी पाठ्यक्रमों और सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन संचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी;
- (तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;
- (चार) संकायों, विभागों, हालों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;
- (पांच) अध्यवेतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना:
- (छः) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्ते और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या उसका स्तर;
- (सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति;
- (आठ) संस्थान की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएं;
- (2) विद्या परिषद् को उपधारा (1)के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों पर विनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।
- (3) जहाँ कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद् कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है और कुलाध्यक्ष, आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि प्रस्तावित विनियम को महापरिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाय और यह कि महापरिषद के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय:

परन्तु यदि विनियम कर अनुमोदन महापरिषद द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं एह जाएगा;

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गर्ये समस्त विनियम महापरिषद् के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और महापरिषद् को कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये किसी विनियम को संशोधित करने या उसे रदद करने की शक्ति होगी।

पुनर्विलोकन आयोग की नियुवित

- 33-(1) कुलाध्यक्ष संस्थान की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार आयोग का गठन करेगा।
 - (2) आयोग में विधिक क्षेत्र में प्रख्यात तीन से अन्यून शिक्षाविद होंगे जिसमें से एक, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त, ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा!
 - (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्ते वही होंगी जैसी कुलाध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।
 - (4) आयोग ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को अपनी सिफारिश करेगा।
 - (5) कुलाध्यक्ष आयोग की सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

संस्थान की निधि 34—(1) संस्थान की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :— (एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया काइ अशदान या अनुदान;
- 'तीन) राज्य बार कौंसिल द्वारा दिया गया कोई अंशदान;
- चार) निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दी गयी कोई वसीयत, दान, विन्यास या अन्य अनुदान;
- (पांच) संस्थान द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय; और
- (छः) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त कोई निधियां सम्मिलित नहीं होंगी:
- (2) संस्थान की निधि की धनराशि भारतीन रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक में रखी जाएगी या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधानित किया जा सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाय;
- (3) संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।
- 35—(1) संस्थान का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा;

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा

- (2) संस्थान की लेखा सम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, की जाएगी;
- (3) लेखों का, जब सम्परीक्षा हो जाय, प्रकाशन, कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति महापरिषद् के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा;
- (4) महापरिषद् द्वारा उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा।
 महापरिषद् उससे सम्बन्धित संकल्य पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद् को
 संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद्, महापरिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार
 करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य
 परिषद् महापरिषद् को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त
 कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।
- 36—(1) कार्य परिषद्, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे महापश्षिद् के समक्ष रखेगी।

वित्तीय प्राक्कलन

(2) कार्य परिषद्, ऐसे मामले में जहां बजट में उपबन्धित धनशशि के आधिवय में व्यय उपगत किया जाना हो तो यह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्यियकता के मामलों में, विनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है जहाँ ऐसे आधिवय व्यय के संबंध में बजट कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो दहाँ महापरिषद के उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

- 37—(1) धारा—26 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो
 - (2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय:

संविदाओं का निष्पादन 38— संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं ऐसे अभिव्यक्त की जाएगी जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो, उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जाएगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रूपये से अधिक न हो, कुल सचिव द्वारा किया जायेगा,

संरथान द्वारा विधि उपाधि, डिप्लोमा आदि का प्रदान किया जाना मानद उपाधि

- 39— संस्थान को इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।
- 40— यदि विद्या परिषद् के दो—तिहाई से अन्यून सदस्य सिफारिश करते है कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिये उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो महापरिषद् किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे सिफारिश किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना

- 41--(1) महापरिषद् कार्यपरिषद् की सिफारिश पर महापरिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपश्थित और मत देने वाले महापरिषद् के दो—तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष टहराया गया हो, जिसमें महापरिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो:
- (2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए:
- (3) महापरिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जाएगी;
- (4) महापरिषद् द्वारा किये विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है।
- (5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति का अन्तरण 42— राज्य सरकार संस्थान को ऐसी शर्तों पर ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उचित समझे; संस्थान द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिये भवनों, भूमि और जंगम या स्थावर किसी अन्य सम्पत्ति को अन्तरित कर सकती है।

अनुशासन

- 43—(1) संस्थान के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी निदेशक होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और संस्थान की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।
 - (2) उपखण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या संस्थान या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, निदेशक की रिपोर्ट पर कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा;

परन्तु ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरूद्ध किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

- 44- इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुये भी जब कभी संस्थान प्रायोजित योजनावें किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संस्थान द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियां प्राप्त करें तो :-
- (ক) ऐसी प्राप्त धनराशि, निधि से पृथक रूप से संस्थान द्वारा रखी जायेगी और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिये ही उपयोग की जायेगी; और
- योजना निष्पादित करने के लिये अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले (ख) संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।
- 45-(1) इस बात के होते हुए भी कि महापरिषद, कार्यपरिषद, विद्या परिषद या संस्थान का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक् रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रृटि रही है और इस बात के होते हये भी कि संस्थान के किसी प्राधिकरण समिति या निकाय का ऐसा कोई कार्य या कार्यवाही नहीं है जो केवल इन कारणों से अविधिमान्य होगी कि,-

रिवितयों द्वारा अविधिमान्य न की गयी प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही

- उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रृटि थी; या (ক)
- उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निवाचन, नाम-निदेशन (ख) या नियक्ति में कोई त्रुटि थी;या
- (ग) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियंपितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पडता हो।
- संस्थान के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर (2) नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर यदि ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकृल प्रभाव न पड़ा हो।
- याद सरधान की स्थापना के सम्बन्ध में या संस्थान के किसी प्राधिकरण के प्रथम किनाइयों का दूर अधिवेशन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सस्थान क प्राधिकरणों का गठन किये जाने के पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकता है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों से संगत कोई बात कर सकता है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्ये हु या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम और विनियमावली में उपवधित रीति से की गयी हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार संस्थान के निदेशक और ऐसे समुचित प्राधिकरण जैसा गठित किया गया हो, की इस निमित्त रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगा और उस पर विचार करेगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्थायी उपबन्ध

47—इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई विनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निदेशक, महापरिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अधीन होते हुए इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से संस्थान के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता है, जिनका प्रयोग और निष्पादन संस्थान के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई विनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

48—कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां, संस्थान, निदेशक, संस्थान के प्राधिकरणों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरोध, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी, और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जाएगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी विनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव 49—इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, प्रभावी होंगे।

उद्देश्य और कारण

यद्यपि उत्तर प्रदेश में अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विधि विषय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तथापि उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण राज्य के बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों को अन्य राज्यों, यथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में स्थापित राष्ट्रीय विधि विद्यालय और विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय विधि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में विधि शिक्षा के उन्नयन हेतु विधिवेत्ताओं, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना हेतु निरन्तर मांग की जा रही है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि विधि और विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करने और विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में "डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान" उत्तर प्रदेश के नाम से एक विधि संस्थान की स्थापना करने के लिये विधि बनायी जाय।

तदनुसार डाक्टर राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पुरस्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, राम हरि विजयं त्रिपाठी, प्रमुख सचिव।

No. 1406/VII-V-1-1(Ka) 29-2005 Dated Lucknow, December, 19, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2005.

DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA RASHTRIYA VIDHI SANSTHAN UTTAR PRADESH ADHINIAM, 2005

[U.P. ACT NO. 28 of 2005]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

to establish and incorporate a National Law Institute at Lucknow in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called Doctor Ram Manohar Lohiya Rastriya Vidhi Short title and Sansthan Uttar Pradesh Adhiniyam, 2005.

commencemen

- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
 - 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions

- (i) "Academic Council" means the Academic Council of the Sansthan constituted under section 21;
- (ii) "Director" means the Director of the Sansthan appointed under -section 27;
- (iii) "Executive Council" means the Executive Council of the Sansthan constituted under section 14;
- (iv) "General Council" means the General Council of the Sansthan constituted under section 9;
 - (v) "Prescribed" means prescribed by regulations;
- (vi) "Registrar" means the Registrar of the Sansthan appointed under section 29;
- (vii) "Regulations" means the regulations of the Sansthan made under section 32;
- (viii) "Sansthan" means Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh established under section 3;
- (ix) "Secretary-in-Charge" means the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department of Government of Uttar Pradesh;
- (x) "Senior Administrative officers of the State" means officers of the Indian Administrative Service and Provincial Civil Service of Uttar Pradesh posted in the Sansthan by the State Government;

- (xi) "Teacher" means a teacher employed by the Sansthan for imparting education and guiding and conducting research in the Sansthan;
- (xii) "Visitor" means the Visitor of the Sansthan referred to in section 7.

Establishment and Incorporation of the Sansthan

- 3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint, there shall be established in the State of Uttar Pradesh an Institute by the name of Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh.
 - (2) The Sansthan shall be a body corporate.
 - (3) The headquarters of the Sansthan shall be at Lucknow.
 - (4) In relation to the Sansthan to be established under this section,-
 - (a) the State Government shall appoint interim officers of the Sansthan and constitute interim authorities of the Sansthan in such manner, as it thinks fit:
 - (b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (c) or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf:

Provided that the State Government may, by notification, extend the term of members of such authorities for a period not exceeding two years.

- (c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the Sansthan in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (b).

4. The objectives of the Sansthan shall be, -

- (i) to advance and disseminate learning and knowledge of law and legal processes and their role in national development;
- (ii) to develop in the student and research scholar a sense of responsibility to serve society in the field of law by developing skills in regard to advocacy, Judicial and other legal services, legislation, law reforms in the existing laws and the like;
- (iii) to organise lectures, seminars, symposia and conferences, to promote legal knowledge and to make law and legal processes efficient instrument of social development;
- (iv) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and
- (v) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the Sansthan.

Objectives of the Sansthan

5. The powers and functions of the Sansthan shall be,-

Powers and functions of the Sansthan

- (i) to administer and manage the Sansthan and such centres for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the Sansthan:
- (ii) to provide for instructions in such branches of knowledge of learning pertaining to law, as the Sansthan may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law;
- (iii) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;
- (iv) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the Sansthan for a course of study for a degree or a diploma;
- (v) to organise and undertake extra mural teaching and extension services;
- (vi) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the Sansthan may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (vii) to confer honorary degree or other distinctions in such manner as may be prescribed;
 - (viii) to fix, demand and receive fees and other charges;
- (ix) to Institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the Sansthan and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;
- (x) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline, of the students of the Sansthan and to make arrangements for promoting their health;
- (xi) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of students;
- (xii) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;
- (xiii) to regulate and enforce discipline among the employees of the Sansthan and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (xiv) to institute professorships, readerships, lecturerships, and any other teaching, academic or research posts required by the Sansthan with the prior approval of the State Government;
- (xv) to appoint persons as professors, readers, lecturers or otherwise as teachers and research scholars of the Sansthan;

- (xvi) to institute and award fellowships, scholarship, prizes and medals;
- (xvii) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;
- (xviii) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the Sansthan may from time to time determine;
- (xix) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the Sansthan, by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;
- (xx) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the Sansthan;
- (xxi) to establish and maintain, within the premises of the Sansthan or elsewhere, such class rooms and study halls as the Sansthan may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the Sansthan;
- (xxii) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the Sansthan and consistent with the objectives for which the Sansthan is established;
- (xxiii) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the Sansthan, on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, or to alter and maintain, any such building or works;
- (xxiv) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the Sansthan, movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the Sansthan:

Provided that where the properties have been created with the financial assistance of the State or the Central Government prior approval of the State Government shall be necessary;

- (xxv) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate, Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- (xxvi) to execute conveyances transfer, reconveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the Sansthan or to be acquired for the purpose of the Sansthan with prior approval of the State Government;

(xxvii) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the Sansthan, any person as it may deem fit;

(xxviii) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(xxix) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the Sansthan or without any securities and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the Sansthan all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed.

(xxx) to invest the funds of the Sansthan or fund entrusted to the Sansthan in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xxxi) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the Sansthan and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the Sansthan.

(xxxii) to do all such other acts and things as the Sansthan may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.

6. (1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the Sansthan shall be conducted under the control of the General Council by the teachers of the Sansthan in accordance with such syllabus as may be prescribed.

Teaching in the sansthan

- (2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be such as may be prescribed.
 - 7. (1) The Chief Justice of India shall be the Visitor of the Sansthan:

Visitor of the Sansthan

Provided that if the Chief Justice of India does not give his consent to hold the office of the Visitor of the Sansthan, the State Government may nominate a former Chief Justice of India to hold the office of Visitor of the Sansthan, in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

- (2) The Visitor shall have the right to cause inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the Sansthan, its buildings libraries and equipments and of any Institution maintained by the Sansthan, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the Sansthan and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the Sansthan.
- (3) The Visitor shall give notice to the Sansthan of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the Sansthan shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection of inquiry.
- (4) The Visitor may address the Director with reference to the result of such inspection or inquiry and the Director shall communicate to the General Council the Views of the Visitor along with such advice as the Visitor may have offered on the action to be taken thereon.
- (5) The General Council shall communicate through the Director the Visitor such action, if any, as it proposes to take or has been taken on the result of such inspection or inquiry.

Authorities of the Sansthan

- 8. The following shall be the authorities of the Sansthan:-
 - (i) the General Council;
 - (ii) the Executive Council;
 - (iii) the Academic Council;
 - (iv) the Finance Committee; and
 - (v) such other authorities as may be prescribed.

General Council

9. (1) There shall be a General Council of the Sansthan which shall consist of the following members, namely:—

I. Ex-officio Members

- (i) The Chief Minister of Uttar Pradesh
- (ii) The Chief Justice of High Court of Judicature, at Allahabad
- (iii) The Minister of Law Government of Uttar Pradesh
- (iv) The Minister of Higher Education Government of Uttar Pradesh
- (v) The Advocate General, Uttar Pradesh
- (vi) The Chairman, State Bar Council, Uttar Pradesh
- (vii) The Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh.
- (viii) The Secretary-in-charge of Finance Department Government of Uttar Pradesh.
- (ix) The Secretary-in-charge of Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh.
 - (x) The Director of the Sansthan.

II. Nominated Members

- (i) one Judge of the High Court of Judicature at Allahabad nominated by the chief Justice of the said High Court;
- (ii) two Members of the Lok Sabha from Uttar Pradesh, one of whom shall be from the ruling party and another from the opposition party, to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha;
- (iii) two members of Uttar Pradesh Legislative Assembly one of whom shall be from the ruling party and another from the oppostion party, to be nominated by the Speaker of the Legislative Assembly;
- (iv) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh to be nominated by the State Government;
 - (v) one nominee of the Bar Council of India from amongst its members;
- (vi) five eminent persons in the field of law to be nominated by the State Government.
- (2) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the Chairman of the General Council and the Director of the Sansthan shall be the Secretary of the General Council.
- 10. (1) The term of the office of the nominated members of the General Council shall subject to sub-section (2) and (3) be three years.
- (2) When a person is nominated as a member of the General Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person as the case may be.

Term of Office of members of the General Council

- (3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Director accepts a full time appointment in the Sansthan or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the Chairman or acts against the interests of the Sansthan.
- (4) A member of General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairman.
- (5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.
 - 11. The General Council shall have the following powers, namely:

Powers of the General Council

- (i) to appoint the Director of the Sansthan under the provisions of this Act;
- (ii) to exercise the powers and functions of the Sansthan referred to in section 5 except where such powers are given to some other authority or officer of the Sansthan under the provisions of this Act;
- (iii) to review from time to time the broad policies and programmes of the Sansthan and to take measures for the improvement and development of the Sansthan:
- (iv) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;
- (v) to delegate all or any of its powers to the Director or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members, and
- (vi) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the Sansthan.
- 12. (1) The General Council shall meet atleast once in a year and atleast fifteen days notice shall be given for its meetings.

Meetings of the General Council

- (2) The Chairman shall preside over the meeting of the General Council and in his absence, any member duly authorized by the Chairman shall preside over the meeting.
- (3) One third of the total number of members of the General Council shall form a quorum for a meeting.
- (4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairman or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.
- (5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the General Coucil. The action so taken shall be fothwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.
- (6) A report of the working of the Sansthan during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Director to the General Council at its annual meeting.
- 13. (1) The Executive Council shall be the chief executive body of the Sansthan.

The executive Council.

(2) The administration, management and control of the Sansthan and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the Sansthan.

Constitution of the Executive Council

- 14. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-
 - (i) the Director;
 - (ii) Three members of the General Council to be nominated by the Chairman of the General Council;
 - (iii) The Chairman of the State Bar Council, Uttar Pradesh;
 - (iv) The Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh;
 - (v) The Secretary-incharge of Finance Department Government of Uttar Pradesh;
 - (vi) The Secretary-in-charge of Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh;
 - (vii) Two eminent eductionists nominated by the State Government;
 - (viii) Two persons of social eminence nominated by the State Government;
 - (ix) Two whole time Senior Professors of the Sansthan, by rotation according to seniority.
- (2) The Director shall be the Chairman of Executive Council and the Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.

Term of office of Executive Council

- 15. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- (2) A member of the Executive Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if member other than the Director or a member of a faculty accepts a full time appointment in the Sansthan or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave granted by the Chairman of the Executive Council or acts against the interests of the Sansthan.
- (3) Members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council Unless the membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the above sub-sections but shall be eligible for renomination or re-appointment, as the case may be.
- (4) A member of the Executive Council other than ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairman of the Executive Council.
- (5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment of nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

Powers and functions of the Executive Council

- 16. Without prejudice to the provisions of section 11, the Executive Council shall have the following powers and functions:
 - (i) to create teaching posts in the Sansthan and to determine the qualifications, emoluments and duties attached thereto with the prior apporval of the State Government after considering the recommendations of the Academic Council;

- (ii) to appoint from time to time, Professors, Readers, Lecturers, other members of the teaching staff, the Librarian and such other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the Selection Committee constituted by regulations for the purpose;
- (iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government;
- (iv) to manage and regulate the finances, accounts investments, property, business and all other administrative affairs of the Sansthan;
- (v) to invest any money belonging to the Sansthan including any unapplied income, in such stock funds, shares or securities, as it may, from time to time, deem fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;
- (vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the Sansthan:

Provided that no immovable property shall be transferred to the third party without the prior approval of the State Government.

- (vii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the Sansthan and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;
- (viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the Sansthan;
- (ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the Officer of the Sansthan, the teacher, the students and employees who may, for any reason, feel aggrieved;
- (x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (xi) to select a common seal for the Sansthan and to provide for the custody of the seal;
- (xii) to make such regulations as may, from time to time be considered necessary for regulating the affairs and the management of the Sansthan and to alter, modify and to rescind them;
- (xiii) to delegate any of its powers except the powers to make regulations to any Officer or Authority either temporarily or permanently; and
- (xiv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.
- 17. (1) The Executive Council may, by regulations, provide for reservations of seats to the residents of the State of Uttar Pradesh and Members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes as defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes) Act, 1994 in admission to the various courses.
- (2) The provision of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 and the orders and instructions issued from time to time by the State Government with respect to reservation shall be applicable to the posts to be filled by direct recruitment or by promotion in every existing teaching or non-teaching staff of the Sansthan.

Reservation in admissions and appointments

Meetings of the Executive Council

- 18. (1) The Executive Council shall meet atleast once in three months and not less than fifteen days notice shall be given for such meeting.
- (2) The Chairman of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence the members presents shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
- (3) One-third of the total members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.
- (4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

Constitution of Standing Committee and appointment of adhoc committees by the Executive Council

- 19. (1) Subject to the provisions of this Act or the regulations made in this behalf the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint adhoc committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the Sansthan or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the Sansthan.
- (2) The Executive Council may co-opt persons to a standing committee or an adhoc committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

Academic Council 20. the Academic Council shall be the academic body of the Sansthan and shall, subject to the provision of this Act and the regulations, have power of control and general regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instructions, education and examination of the Sansthan and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations, It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

Constitution of the Academic Council

- 21. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-
 - (i) the Director, who shall be the Chairman thereof;
 - (ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of any profession or eminent public men, who are not in service of the Sansthan nominated by the Chairman in consultation with the General Council;
 - (iii) the Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (iv) a nominee of the Bar Council of Uttar Pradesh;
 - (v) all the Heads of the Department of the Sansthan;
 - (vi) all Professors other than the Heads of the Department, if any;
 - (vii) two members of the teaching staff, one each representing the Readers and the Lecturers of the Sansthan.
- (2) The term of the members other than ex-officio members shall be three years.

- (3) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office of appointment.
- (4) A member of the Academic Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Director or a member of faculty accepts full time appointment in the Sansthan or if he fails to attend three consecutive meetings of the Academic council without the leave of the Chairman of the Academic Council.
- (5) Unless the membership of the Academic Council thereof is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections, members of the Academic Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Academic Council but shall be eligible for renomination or re-appointment, as the case may be:
- (6) A member of the Academic Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Academic Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairman of the Academic Council.
- (7) Any vacancy in the Academic Council shall be filled either by appointment or nomination, as he case may be, by the respective authorities to make the same.
- 22. Subject to the provisions of this Act or the regulations, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

Powers and duties of the Academic Council

- (i) to report on any matter referred to or delegated to it by the General Council or the Executive Council;
- (ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the Sansthan and the qualifications emoluments and duties attached thereto;
- (iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report the Executive Council as to the expediency of the abolition or subdivision of any faculty or the combination of one faculty with another;
- (iv) to promote research within the Sansthan and to require, from time to time, report on such research;
 - (v) to consider proposals submitted by the faculties;
- (vi) to lay norms and to appoint committees for admission to the Sans han.
- (vii) to recognise diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degree of the Sansthan.
- (viii) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarship and other prizes and to award the same;
- (ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

- (x) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;
- (xi) to declare the results of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour.
- (xii) to award stipends, scholarship, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
- (xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;
- (xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and
- (xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out the provisions of this Act and the regulations.

Meetings of the Academic Council

- 23. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.
- (2) the Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
- (3) One half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.
- (4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

The Finance

- 24. (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members namely:-
 - (i) the Director;
 - (ii) one member nominated by the General Council from amongst its members;
 - (iii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members;
 - (iv) the Secretary in-charge, Department of Higher Education, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (v) the Secretary in-charge of Judicial Department Government Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (vi) the Secretary in-charge, Finance Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (vii) the Registrar;
 - (viii) The Finance Officer- Member Secretary.
- (2) The nominated members of the Finance Committee shall hold office for a period of three years.
- (3) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions namely:-
 - (i) to examine and scrutinize the annual budget of the Sansthan and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

- (ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;
- (iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the Sansthan from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;
- (iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the Sansthan either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Director;
- (4) The Finance Committee shall meet at least once in six months. three members of the Finance Committee shall form the quorum.
- (5) The Director shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
- 25. (1) The Executive Council shall constitute a Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of teachers and other employees in the Sansthan.

Selection Committee

- (2) The selection committee shall consist of the following members, namely:-
 - (i) the Director who shall be the Chairman of the Committee;
 - (ii) the Head of the Department concerned, if any who is not lower in rank than to 1 of the post for which selection is to be made;
 - (iii) (a) Where an appointment is to be made for any teaching post, three experts nominated by the Director from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council.
- (b) Where an appointment is to be made to any post other than concerned with teaching, three experts in the field of the Sansthan's administration to be nominated by the Director from amongst a panel of names recommended by the Executive Council.
- (3) Where an endowment from a donor is accepted by the Sansthan for establishing a Chair, the donor may be co-opted as member of the Selection Committee for the purpose of filling in that post.
 - 26. The following shall be the officers of the Sansthan, namely:-

Officer of the Sansthan

- (i) the Director;
- (ii) the Head of the Department;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Finance Officer
- (v) such other officer as may be prescribed.

The Director

27. (1) The Director shall be a whole time salaried officer of the Saiisthan. The Director after the commencement of this Act shall be appointed by the General Council from amongst persons whose names are sent to the General Council by the Committee constituted in accordance with provisions of sub-section (2).

Provided that the first Director shall be appointed by the State Government.

- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely-
 - (i) One person to be nominated by the Visitor.
 - (ii) One person to be nominated by the General Council.
 - (iii) One person to be nominated by the State Government.
- (3) The Committee shall, as far as may be, at least six months before the date on which a vacancy in the office of the Director is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (4), and also whenever so required and before such date as may be specified by the General Council; submit to the General Council the names of not less than three persons suitable to hold the office of the Director. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the General Council a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.
- (4) The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he/she completes the age of sixty five years, whichever is earlier:

Provided that the Director may by writing under his hand addressed to the Chairman of the General Council resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the General Council of such resignation.

- (5) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Director shall be such as may be prescribed.
- (6) The Director shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund.
- (7) The Chairman of the General Council may appoint any suitable person to the office of Director for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of Director occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the registrar to the Chairman of the General Council.
- (8) If in the opinion of the General Council, the Director wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the General Council that the continuance of the Director in office is detrimental to the interest of the Sansthan, the General Council may, after making proper inquiry which shall be completed preferably within six months, remove the Director by an order after giving him an opportunity of being heard.

- (9) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in subsection (8) the General Council may order that till further orders -
 - (a) such Director shall refrain from performing the functions of the office of Director, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (5).
 - (b) the functions of the office of the Director shall be performed by the person specified in the order.

(10) The Director shall-

- (a) ensure that the provisions of this Act and the Regulations are duly observed and shall have all powers as are necessary for that purpose;
- (b) subject to the specific and general directions of the Executive Council, the Director shall exercise all powers of the Executive Council in the management and administration of the Sansthan.
- (c) convene the meetings of the General Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;
- (d) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the Sansthan.
- (11) If, in the opinion of the Director, any emergency has arisen, which requires immediate action, he shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation, in the next meeting, of the authority concerned which in the ordinary course would have dealt with the matter.
- 28. (1) There shall be a Head of the Department for each of the departments in the Sansthan.

Heads of the Department

- (2) The powers, functions, appointments and the conditions of service of the Heads of the Departments shall be as prescribed by the regulations.
- 29. (1) The Registrar shall be a whole time officer of the Sansthan. He shall be appointed by the State Government from amongst the senior administrative officers of the State.

The Registrar

(2) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council. Academic Council, and the faculties, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall:

- (i) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Director;
- (ii) be the custodian of the records, common seal and such other property of the Sansthan as the Executive Council shall commit to his charge;
- (iii) issue all notices convening meeting of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties, the Board of studies and of any committee, appointed by the authorities of the Sansthan;
- (iv) keep the minutes of all meetings of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties and any committee appointed by the authorities of the Sansthan;
- (v) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;

- (vi) supply the visitor the copies of the agenda of the meetings of the authorities of the Sansthan as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting;
- (vii) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the Director nor the officer duly authorised is able to act and to take its directions for carrying on the work of the Sansthan;
- (viii) represent the Sansthan in suits or proceedings by or against the Sansthan, sign powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose;
- (ix) be directly responsible to the Director for the proper discharge of his duties and functions;
- (x) perform such other duties as may be assigned to him from time to time, by the Executive Council or the Director under the provisions of this Act or the regulations;
- (4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the Director may authorise any officer in the service of the Sansthan to exercise such powers, functions, and the duties of the Registrar as the Director deems fit.

The Finance Officer

- 30. (1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government.
- (2) The Finance Officer shall,-
- (a) present the budget (annual estimates) and the statement of account to the Executive Council and also draw and disburse funds on behalf of the Sansthan;
- (b) speak in and otherwise take part in the proceedings, pertaining to matters of finance, of the Executive Council except voting;
- (c) ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the Sansthan (otherwise than by way of investment);
- (d) disallow any proposed expenditure which may contravene the provision of this Act or regulations.
- (e) ensure that no financial irregularity is committed and take steps to set right any irregularities pointed out during audit;
- (f) ensure that the property and investments of the Sansthan are duly preserved and managed;
 - (g) to exercise general supervision over the funds of the Sansthan;
- (h) advise in financial matter either Suo moto or on his advice being sought:
- (i) collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the Sansthan,
- (j) ensure that the registers of buildings, lands, items of furniture and equipments are maintained upto date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the Sansthan;
- (k) probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault.

- (1) perform such other duties in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Director.
- (3) In the event of the post of the Finance Officer remaining vacant for any reason the Director may authorize any officer in the service of the Sansthan to exercise such powers, functions and the duties of the Finance Officer as the Director deems fit;
- 31. (1) Subject to the regulations made for the purpose every other officer or employee of the Sansthan shall be appointed under written contract setting out the conditions of service as prescribed by the regulations which shall be lodged with the Sansthan and a copy thereof furnished to the officer or employee concerned.

Other Officers and Employees

- (2) Any dispute arising out of the contract between the Sansthan and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned, or at the instance of the Sansthan be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the regulations.
- 32. (1) The Executive Council may make regulations for carrying out the provisions of this Act:

How to make regulations

Provided that the Executive Council shall not make any regulations affecting the status, powers or constitution of any authority of the Sansthan until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters, namely -

- (i) the constitution, powers and duties of the Academic Council;
- (ii) the authorities responsible for organizing teaching in connection with the Sansthan courses and related academic programmes;
- (iii) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions:
- (iv) the establishment and abolition of faculties, departments, halls and institutions;
- (v) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (vi) conditions and modes of appointment of examiners or conduct or standard of examinations or any other course of study;
 - (vii) mode of enrolment or admission of students;
- (viii) examinations to be recognized as equivalent to Examinations of the Sansthan:
- (2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in clauses (i) to (viii) of sub-section (1) and matters connected therewith or incidental thereto.
- (3) Where the Executive Council has rejected the draft of any regulation proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Visitor and the Visitor may, by order, direct that the proposed regulations may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and that pending such approval of the General Council it shall have effect from such date as may be specified in that order:

Provided that if any regulation is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect.

(4) All regulations made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting, and the General Council shall have the power to amend or cancel any regulation made by the Executive Council:

Appointment of Review Commission

- 33. (1) The Visitor shall atleast once in every five years constitute a commission to review the working of the Sansthan and to make recommendations
- (2) The Commission shall consist of not less than three eminent educationists in the field of law one of whom shall be the Chairman of such Commission appointed by the Visitor in consultation with the State Government.
- (3) The terms and conditions of the appointment of the members referred to in sub-section (2) shall be such as the Visitor may determine.
- (4) The commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendation to the Visitor,
- (5) The Visitor may take such action on the recommendations of the Commission as he deems fit.

Fund of the Sansthan

- 34. (1) There shall be a Fund of the Sansthan which shall include,—
 - (i) any contribution or grant made by the State Government;
- (ii) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government;
 - (iii) any contribution made by the State Bar Council;
- (iv) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions;
 - (v) income received by the Sansthan from fees and charges; and
- (vi) amounts received from any other source; but shall not include any funds received from any agency for sponsoring a scheme.
- (2) The amount in the Fund of the Sansthan shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act no. 2 of 1934) or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act no. 5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act no. 40 of 1980) or may be invested in such securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 (Act no. 2 of 1882) as may be decided by the Executive Council.
- (3) The Fund of the Sasnthan may be utilized for such purpose of the Sansthan and in such manner as may be prescribed.

The Annual Accounts and Audit

- 35. (1) The Annual Accounts and the balance sheet of the Sansthan shall be prepared under the directions of the Executive Council.
- (2) The accounts of the Sansthan shall, atleast once in a year, be audited by the Director, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.

- (3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government.
- (4) The Annual Accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting. The General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit. The Executive Council shall inform the General Council at it's next meeting, all actions taken by it or the reasons for not taking action.
- 36. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the regulations, the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.

Financial estimates

- (2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.
- 37. (1) An officer specified in section 26 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Sansthan, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

Surcharge

- (2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.
- 38. All contracts relating to the management and administration of the Sansthan shall be expressed as made by the Executive Council, and shall be executed by the Director when the value of the contract is above ten lakhs of rupees and by the Registrar, when its value does not exceed ten lakhs of rupees

Execution of Contracts

39. The Sansthan shall have power to grant Degrees, Diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

Grant of Law Degree, Diploma etc. by the Sansthan

40. If not less than two-third of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction, the General Council may, by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

Honorary Degree

41. (1) The General Council, may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two-third of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a Court of law for an offence, which in the opinion of the General Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

Withdrawal of a degree or a diploma

(2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

- (3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.
- (4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may appeal to the Visitor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.
 - (5) The decision of the Visitor in such appeal shall be final.

Transfer of property

42. The State Government may transfer to the Sansthan buildings, lands and any other property whether movable or immovable for use and management by the Sansthan on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act.

Discipline

- 43. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the Sansthan shall be the Director. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of the Department, hostels and institutions of the Sansthan.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the punishment of debarring a student from the examination or rustication from the Sansthan or a hostel or an institution, shall on the report of the Director be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving to the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

Sponsored schemes

- 44. Whenever the Sansthan receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the Sansthan, notwithstanding anything in this Act and regulations,—
 - (a) the amount so received shall be kept by the Sansthan separately from the Fund of the Sansthan and utilized only for the purposes of the scheme; and
 - (b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

Proceedings of authorities of bodies not invalidated by vacancies

- 45. (1) Notwithstanding that the General Council, the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the Sansthan is not duly constituted or there is a defect in its constitution or re-constitution at any time and notwithstanding that there is no act or proceeding of any authority, committee or body of the Sansthan shall be invalid merely by reasons of
 - (a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or
 - (b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or
 - (c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.
- (2) No resolution of any authority or body of the Sansthan shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body if not prejudicially affected by such irregularity.

46. If any difficulty arises with respect to the establishment of the Sansthan or in connection with the first meeting of any authority of the Sansthan or otherwise in giving effect to the provisions of this Act and the regulations, the State Government may, at any time, before all authorities of the Sansthan have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act:

Removal of

Provided that before making any such order the State Government shall ascertain and consider the report in this behalf, if any, of the Director and such appropriate authority of the Sansthan as may have been constituted:

Provided further that no such order shall be made after two years of the date of notification of this Act.

47. Notwithstanding anything contained in this Act and the regulations made thereunder the Director may, with the previous approval of the Chairman of the General Council and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the Sansthan for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the regulations and for that purpose may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the regulations are to be exercised or performed by any authority of the Sansthan until such authority comes into existence as provided by this Act and the regulations.

Transitory provisions

48. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the Sansthan, the Director, the authorities or officers of the Sansthan or any other person in respect of anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Act or any regulations.

Indemnity

49. The provisions of this Act and any regulation shall have effect notwithstanding anything inconsistant therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Act to have overriding effect

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Although several colors of universities in Uttar Pradesh are imparting education in the subject of law, yet due to the scale cellent infrastructural facilities many meritorious students of the State are facing several possible as in seeking admission in the National Law School and University/National Law Institutes established in other States such as Karnatak, Andhra Pradesh, Madhra Pradesh, Rajasthan and West Bengal. The jurists, the educationists, the guardians and the students are demanding persistently for the establishment of a National Law Institute in Uttar Pradesh for promoting education in law in the State It has, therefore, been decided to make a law for the establishment of a Law Institute at Lucknow in Uttar Pradesh under the name of 'Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh' to advance and disseminate leaning and knowledge of law and legal process and to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society in the field of law by developing skills and in advocacy, judicial and other legal services and legislation and the like.

Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Vidheyak, 2005 is introduced accordingly.

By Order,
RAM HARI VIJAI TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.